FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

प्रहलाद मीना बनाम सीताराम मीना

किस्म मुकदमा:– प्रार्थना पत्र नम्बर:–2024/45

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उनकी बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सपठित धारा 195 सीआरपीसी पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रार्थी की ओर से पूर्व में उक्त विषयक एक प्रार्थना पत्र संख्या 2023/548 उनवान प्रहलाद मीना बनाम सीताराम मीना न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन रहा है जिसका निर्णय पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.01.2024 को किया जा चुका है। ऐसे में उक्त आदेश की अपील की जानी चाहिये थी जो नही की जाकर प्रार्थी की ओर से उन्ही तथ्यों को दोहराते हुए पुनः हस्तगत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया है जो रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होने से हस्तगत प्रकरण में पुनः निर्णय किया जाना न्यायोचित नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज नम्बर व फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ0प्रवीण कुमार) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर।	